पीबीएक्स | 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग / एफ–310 / 2023– 24 / P.S - 13
दिनांक : 02 मार्च, 2024

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बैंक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना बैंक में लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–11.03.2024 में पारित प्रस्ताव सं0–19 में लिये गये निर्णय के कम में बैंक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना निम्नवत् लागू की जाती है:–

1. **उद्देश्य** :–
   उ0प्र0 सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2016 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमो को बढ़ावा देने के लिए युवा स्वरोजगार योजना संचालित किये जाने का प्राविधान किया गया है ताकि उ0प्र0 के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
2. **योजनान्तर्गत ऋण राशि** :
   - उद्योग क्षेत्र हेतु कुल परियोजना लागत का रू0 25.00 लाख सूक्ष्म इकाईयों हेतु
   - सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत (सूक्ष्म इकाईयों हेतु)
3. **अनुदान** :
   उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या : 6 / 2016 / 406 / 18–2–2016–30(9) / 2015 दिनांक 02 जून, 2016 के अनुसार योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
4. **मार्जिन मनी** :
   - योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
   - विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा – अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला विकलांग जन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत होगी।
   - उद्योग क्षेत्र हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख
   - सेवाक्षेत्र हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.50 लाख तक की सीमा तक : उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त ही अनुदान में परिवर्तित होगा।
5. **ऋण का प्रकार** : टर्म लोन और कार्यशील पूँजी ऋण
6. **पात्रता** :
   - आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

- आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का (Defaulter) चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7. कियान्वयन **संस्था** :
   - योजना का नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश होगा।
   - योजना का कियान्वयन एवं संचालन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।
8. **आवेदन की प्रकिया** :
   - लाभार्थी के आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर आयेगें, उनको ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
   - आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित उद्यम की परियोजना रिपोर्ट संलग्न की जायेगी।
9. **वित्त पोषण की प्रकिया** :
   - लाभार्थी का आवेदन पत्र पोर्टल WWW.DIUPMSME.UPSDC.GOV.IN के माध्यम से प्राप्त होने पर यथा आवश्यक सर्वेक्षण/अप्रेजल के उपरान्त जैसा कि बैंक के एमएसएमई मास्टर परिपत्र में उल्लेख है, सम्बन्धित शाखा द्वारा एक माह के अन्दर (उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार) ऋण को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। ऋण स्वीकृत/अस्वीकृत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल WWW.DIUPMSME.UPSDC.GOV.IN पर किये जायेगें तथा उसे तत्काल उक्त पोर्टल पर अपलोड कर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा किन्तु ऋण तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उद्यमिता विकास संस्थान उ0प्र0 द्वारा ऋणी को सम्बन्धित व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रशिक्षित न कर दिया जाये तथा प्रमाण पत्र उपलब्ध न करा दिया जाये।
   - योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोपरान्त ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
   - उद्यमिता विकास संस्थान से प्रशिक्षण के उपरान्त एक माह के अन्दर संबंधित बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किस्त लाभार्थी को वितरित कर दी जायेगी।
   - भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कोलेट्रल सिक्योरिटी लिये जाने के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
   - योजनान्तर्गत वित्त पोषण करने वाली शाखाओं द्वारा वांछित मार्जिन मनी क्लेम उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से ऋण की प्रथम किस्त वितरण करने के बाद एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा क्लेम प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर मार्जिन मनी धनराशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में आ0टी0जी0एस0/चेक के माध्यम से करायी जायेगी।

- लाभार्थी के खाते में यह मार्जिन मनी टी0डी0आर0 के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा। लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने की दशा में दो वर्ष पश्चात् मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा। समायोजन के पूर्व जिला उद्योग केन्द्र सम्बन्धित बैंकों के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी की परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के उपरान्त ही मार्जिन मनी/अनुदान का समायोजन खाता नियमित रहने पर किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत जान–बूझकर किए गए ऋण दुरूपयोग के प्रकरणों में सम्बन्धित शाखा द्वारा मार्जिन मनी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस कर दी जायेगी, यदि परियोजना Act of God व अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण बंद हुई है, तो बैंक मार्जिन मनी का अपने ऋण के विरूद्ध समायोजित कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा व इकाई के पुर्नवासन पर विचार किया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा बजट के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जायेगी जिसे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त जब लाभार्थियों की मार्जिन मनी दिया जाना हो, उसी समय राजकोष से आहरित करके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

10. **अन्य शर्तें** :

- पोर्टल WWW.DIUPMSME.UPSDC.GOV.IN के माध्यम से जो ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होगें उनका भलीभॉति अप्रेजल शाखा के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात ऋण कमेटी ऋण को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगी तथा उक्तानुसार पोर्टल में उसी दिन ऋण स्वीकृत/अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में अपडेट करेगी।

11. **ऋण अवधि** :–

- टर्म लोन की वसूली 60 समान मासिक किस्तों में की जायेगी। वर्किंग कैपिटल ऋण हेतु एमएसएमई परिपत्र में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।
- ऋणी द्वारा टर्म लोन लेने पर प्लान्ट मशीनरी एवं उपकरणों हेतु (जैसा कि एमएसएमई पालिसी में दिया गया है के अनुसार) स्वीकृत होगा। बैंक शाखा ऋणी से प्लान्ट मशीनरी आदि की प्रोफार्मा इनवॉइस अनुरोध पत्र के साथ प्राप्त करेगी तथा प्लान्ट मशीनरी सप्लाई करने वाली फर्म (सप्लायर) के खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से धनराशि अंतरित करेगी। धनराशि अंतरित करने से पूर्व शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक भली–भांति ऋणी को प्लान्ट एवं मशीनरी सप्लाई करने वाली फर्म के खाते के बारे में छानबीन करके ही धनराशि अंतरित करेगी ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड आदि की स्थिति उत्पन्न न हो।
- सप्लायर्स को एमएसएमई परिपत्रों के अनुसार प्लान्ट एवं मशीनरी आदि की सप्लाई निर्धारित अवधि के अन्दर करनी होगी।

12. **ब्याज दर** :–

- 11 प्रतिशत वार्षिक

(सीएमआर 01 से 03 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 150 से ऊपर होने पर)

- 11.25 प्रतिशत वार्षिक **(सीएमआर 04 से 06 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 131 से 150 तक होने पर)**

13. पुर्नभुगतान **क्षमता**:–

- ऋण/ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन ऋण प्राप्त करने वाली फर्म/यूनिट द्वारा दी गयी बैलेन्स शीट, प्रोजैक्टेड बैलेन्स शीट, लाभ हानि खाते का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेण्ट आदि के आधार पर सी0ए0 के माध्यम से कराया जायेगा।
- ऋण प्राप्त करने वाली फर्म यूनिट के ओनर्स/संचालक/फर्म को चलाने वाले पार्टनर्स/प्रोपराइटर का विगत तीन वर्षो का व्यक्तिगत आईटीआर भी प्राप्त किया जायेगा तथा उसके आधार पर पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन सीए के माध्यम से कराया जायेगा।

14. **ऋण का अप्रेजल**:–

- ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा या शाखा के किसी अधिकारी, जिसे मुख्य प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित किया गया हो, किया जायेगा। नामित अधिकारी या मुख्य प्रबन्धक यूनिट का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं व्यवसाय के वायबेलिटी के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत देगा।
- ऋण का वित्तीय/टेक्निकल अप्रेजल बैंक के सी0ए0 के माध्यम से किया जायेगा। सी0ए0 के द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी जायेगी कि ऋण स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। बैंक के सी0ए0 की रिपोर्ट के बिना कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। शाखा सी0ए0 से बिजनेस की वायबेलिटी एंव ब्रेक ईवेन के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करेगी। व्यवसाय वायबेल होने पर ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
- शाखा स्तर पर गठित लोन कमेटी एमएसएमई ऋणों को स्वीकृत करेगी, जो ऋण सीजीटीएमएसई से आच्छादित हैं उन्हें मुख्यालय स्तर पर गठित अर्बन लोन फैक्ट्री में स्वीकृति हेतु न भेजा जाये।

15. **ऋण की सुरक्षा/प्रतिभूति** :–

- जो ऋण सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेगें ऐसे मामलों में जिस भवन या भूमि पर यूनिट स्थपित होगी उसे प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लिया जायेगा।
- स्टॉक का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर हाइपोथिकेशन किया जायेगा (Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित एवं सीजीटीएसएमई गारण्टी कवर से न आच्छादित होने वाले दोनों पर लागू होगा एवं प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में होगा।)
- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगें उनमें प्राईमरी सिक्योरिटी के साथ–साथ ऋण राशि की डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रेल सिक्योरिटी या एक गुना मूल्य की एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडी को प्रतिभूति के तौर पर लिया जायेगा तथा कोलेट्रल सिक्योरिटी को सरसई पोर्टल पर अपलोड एवं डाउनलोड भी करना होगा।
- स्टाक को हाईपोथिकेट/प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखा जायेगा।

- प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्टाक स्टेटमेन्ट एमएसएमई ऋणी से प्राप्त किया जायेगा तथा बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के अनुसार स्टाक का आंकलन किया जायेगा।
- Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित ऋणों पर उस सीमा तक कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं ली जायेगी जिस सीमा तक ऋण गारण्टी कवर से आच्छादित है तथा ऋण का वह भाग जो गारण्टी कवर से आच्छादित नहीं है उस हेतु डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी या एक गुना मूल्य की एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडी को प्रतिभूति के तौर पर लिया जायेगा तथा कोलेट्रल सिक्योरिटी को सरसई पोर्टल पर अपलोड एवं डाउनलोड भी करना होगा।
- 12 वर्षीय नॉन इन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट अधिवक्ता के माध्यम से लिया जायेगा।
- साम्य बन्धक करने के लिए ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत या रू0 10000.00 के स्टाम्प ऋणी से लिये जायेंगे और कोलेट्रल सिक्योरिटी को साम्य बन्धक कराया जायेगा। सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर में निर्धारित राशि के स्टाम्प पर प्राइमरी सिक्योरिटी ली जायेगी।
- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं उन ऋण फर्म के मालिक/मालिकों/प्रमोटर्स की व्यक्तिगत गारण्टी के साथ–साथ दो गारण्टर्स की भी गारण्टी ली जायेगी एवं ऋण राशि के डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी भी ली जायेगी या एक गुना मूल्य के एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडीआर लेकर ऋण स्वीकृत किये जायेगें तथा इन्हें बैंक के पक्ष में प्लेज कराना होगा।
- जो मैन्यूफ्रैक्चरिंग या सेवा यूनिट किराये के भूमि/भवन में संचालित हैं या संचालित होने वाले हैं में कम से कम 10 साल या उससे अधिक की लीज़ डीड जैसा कि परिपत्र के नोट में वर्णित है, के अनुसार प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा जिस व्यक्ति का उक्त भूमि/भवन का मालिकाना हक है उससे इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उक्त मैन्यूफैक्चरिंग या सेवा यूनिट लगाने में उसको कोई आपत्ति नहीं, यदि लोन की सुरक्षा की दृष्टि से यूनिट रैन्टेड सम्पत्ति पर स्थापित की गयी है या स्थापित की जा रही है तो मालिक बैंक तथा मैन्यूफैक्चरर (एमएसएमई यूनिट) के मध्य रैन्टेड प्रापर्टी के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र कराया जाना यदि सम्भव हो तो उचित होगा। ऐसा अनुबन्ध पत्र सम्पत्ति के मालिक के उत्तराधिकारियों और एमएसएमई यूनिट के मालिक/ओनर पर भी लागू किया जाये।
- ऐसे मामलों में जहॉ फर्म/यूनिट जिस भूमि/भवन में चल रही है या स्थापित है अथवा स्थापित की जानी है, उसमें प्लान्ट/मशीनरी को प्राइमरी सिक्योरिटी (Credit Guarantee loan में) के रूप में रखा जायेगा तथा अन्य ऋणों में जो केडिट गारण्डी से आच्छादित नहीं होगें उनमें डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी ली जायेगी या एक गुना मूल्य के एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडी को प्रतिभूति के तौर पर लिया जायेगा तथा कोलेट्रल सिक्योरिटी को सरसई पोर्टल पर अपलोड एवं डाउनलोड भी करना होगा।

- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर की फीस ऋणी/फर्म के माध्यम से ली जायेगी तथा ऋणी से इस आशय की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि उक्त फीस देने में उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा उसके खाते से यह फीस प्रतिवर्ष सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार डेबिट कर ली जायेगी।

16. **बीमा** :–

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, उनका बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत उनका बीमा आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा का इन्श्योरेन्स ऋणी की लिखित सहमति प्राप्त कर कराना होगा।
- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित हैं उनमें बीमा सीजीटीएमएसई द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

17. **क्रेडिट स्कोर की जाँच** :–

- ऋण लेने वाले व्यक्तियों, ऋण लेनी वाली फर्म दोनों का ही सिबिल स्कोर प्राप्त किया जायेगा। ऋणी/ऋणियों का सिबिल स्कोर 700 से नीचे नहीं होना चाहिए तथा ऋण लेने वाली फर्म का सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) 01 से 6 तक है तो ऋण अनुमन्य किया जायेगा। यदि 06 से ऊपर है तो ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा। (सीएमआर रैन्क के सम्बन्ध में ट्रान्स यूनियन सिबिल से सुझाव मांगा गया था जिसके आधार पर सीएमआर रेटिंग निर्धारित की गयी है)
- नये उद्यमियों हेतु फिट रैन्क देखी जायेगी। फिट रैन्क की गणना ऋणी के बैंक स्टेटमेण्ट, आईटीआर एवं जीएसटी रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा फिट रैन्क 01 से 06 तक होगी तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा यदि फिट रैन्क 06 से ऊपर होगी तो ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नये एमएसएमई के मामलों में जहां सीएमआर रैन्क नहीं है वहां पर फिट रैन्क के साथ–साथ फर्म आदि के डायरेक्टर, पाटर्नर, प्रोपराईटर की सिबिल स्कोर रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा जिन ऋणियों की सिबिल स्कोर नहीं आ रही है ऐसे मामलों में उनका एनटीसी स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा।
- यदि नये ऋणियों का एनटीसी स्कोर 131 या उससे ऊपर है तो बैंक ऋण स्वीकृत करेगा एवं यदि 131 से नीचे है तो ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।

18. **स्वीकृत ऋण की वसूली** :–

- टर्म लोन की वसूली 60 समान किस्तों (इक्वीटेड) में ऋण की वसूली की जायेगी। वर्किंग कैपिटल ऋण की वसूली परिपत्र में ऊपर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप होगी।

19. **फीस**

- प्रशासनिक शुल्क रू0 200.00 + जीएसटी तथा प्रोसेसिंग फीस 0.35 प्रतिशत या अधिकतम रू0 10000.00+जीएसटी ली जायेगी एवं उद्यमियों एवं उनकी फर्म/यूनिट को तथा गारण्टर्स को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य अवश्य बनाया जायेगा।
- अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों हेतु अधिवक्ता द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस, स्टॉक/परिसम्पत्यिों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्येवूशन फीस तथा स्टॉक का

आडिट करने या अन्य कोई आडिट करने जैसा बैंक उचित समझे के सम्बन्ध में जो फीस आडिटर द्वारा चार्ज की जायेगी उसे ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।

- सीजीटीएमएसई फीस ऋणी से ली जायेगी (सीजीटीएमएसई द्वारा समय–समय पर निर्धारित)

20. **ऋण अवमुक्त करने के सम्बन्ध में** :–

बैंक द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन करने के पश्चात् ही टर्म लोन या कैश केडिट ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

21. **प्रपत्र**

- व्यवसाय के सम्बन्ध में डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), विगत 03 वर्षों की बैलेन्स शीट, 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्स शीट, केवाईसी डॉक्यूमेण्ट जिसमें उद्योग आधार नम्बर, पैन नम्बर (फर्म एवं फर्म को संचालित करने वाले व्यक्तियों) आदि प्राप्त किया जायेगा। ऋण का वित्तीय अप्रेजल एवं टेक्नीकल अप्रेजल सीए के माध्यम से कराया जायेगा।
- कैश फ्लो स्टेटमेण्ट प्राप्त किया जायेगा।
- पार्टनरशिप फर्म के मामलों में पार्टनरशिप डीड प्राप्त की जायेगी तथा उसका भलीभांति अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, लेटर ऑफ इन्कारपोरेशन सम्बन्धित फर्म/यूनिट से प्राप्त करना होगा। एमएसएमई फर्म/यूनिट के चालू खाते ऋण खाते सीसी खाते का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा के सम्बन्ध में फर्म के अधिकृत व्यक्तियों/बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर खातों का ऑपरेशन कराया जायेगा।
- रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में बैंक के पक्ष में प्रथम चार्ज क्रियेट कराना होगा। (जहॉ आवश्यक होगा तभी लागू होगा)
- प्रति माह के समाप्त होने के पश्चात् अगले माह की 10 तारीख तक यूनिट/फर्म/उद्यमी से स्टॉक स्टेटमेण्ट का सर्टिफिकेट, जो उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि सही है, लिया जायेगा।
- बोर्ड की मीटिंग कम से कम एक क्वार्टर मे एक बार अवश्य होनी चाहिए या जैसा नियमों में व्यवस्था है, जैसा कम्पनीज एक्ट, कोआपरेटिव एक्ट या अन्य एक्ट मे व्यवस्था है, होनी चाहिए।
- डिमाण्ट प्रनोट, लेटर ऑफ केडिट, हाइपोथिकेशन, लेटर ऑफ कन्टीन्यूटि आदि ऋणी से भराया जायेगा तथा प्रनोट पर निर्धारित राशि के रसीदी टिकट लगेंगे। (जो पूर्व से फॉरमेट चल रहे हैं उन पर कराया जायेगा)

22. **चेक लिस्टः– संलग्न है।**

आवश्यक दिशा–निर्देश

प्लान्ट, मशीनरी, स्टाक आदि जो भी ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के माध्यम से बनाया जायेगा उसको बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट कराया जायेगा।

NOTE:

- The borrower will be required to submit proof of his ownership of the land/property on which he proposes to establish his Enterprise. Generally Loan will not be disbursed to any person who is not the Owner of the land or property on which the Enterprise is to be established but relaxation can be granted by appropriate authority at branch level if following conditions are fulfilled.
  1. The bank will not have direct exposure of security to Leased, Hire Purchased and Rented properties, either primary or collateral.

2. The Bank may extend credit facilities to such borrowers having security as Leased, Hire Purchased and Rented properties on subject to the fulfillment of the following conditions.

- It is in commercial area (not residential).
- Unexpired Lease/Registered Agreement period in 10 years or more at the time of sanction.
- With Prior writ
- An approval of Appropriate Authority (at Branch)

अतः उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

01.4.24

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं **आवश्यक कार्यवाही** हेतु **प्रेषित** :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर मै0 मेगासॉफ्ट प्रा0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत नया जीएल कोड बनाना सुनिश्चित करें।
4. महाप्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत ऋण वितरण के लिए अलग से जीएल बनाना एव रिपोर्ट में शामिल करना तथा डिजिटल लेनदेन हेतु योजना से सम्बन्धित आवश्यक सॉफटवेयर विकसित करने तथा बैंक की वेबसाईट पर परिपत्र को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

01.4.24

प्रबन्ध निदेशक